रजिस्ट्री सं. डी.एल -33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

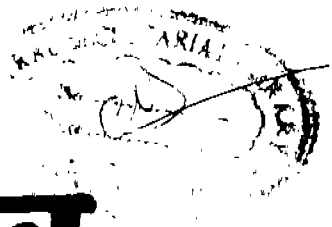

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1994/माघ 13, 1915
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1994/MAGHA 13, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली 2 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 57(अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. पी.आर-12012/23/92-पीई-1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1994

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विद्यमान अग्रिम की मंजूरी के लिए योजना को प्रतिस्थापित करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. लघु शीर्ष

ये विनियम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम 1994 के नाम से कहलाएंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों के तहत जब तक कि इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नलिखित का वही अर्थ होगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

(ए) "अधिनियम" से तात्पर्य है महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ।

(बी) "लेखा अधिकारी" से तात्पर्य है बोर्ड का वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी या लेखा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारी जिसे उनकी तरफ से नामित किया गया हो ।

(सी) "बोर्ड", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" तथा विभागाध्यक्ष का वही अर्थ होगा जो कि महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 में दिया है ।

(डी) वर्ग 1, 2, 3 और 4 पदों का वही अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी की गई "कर्मचारी अनुसूची" में बताया गया है ।

(ई) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु "वेतन" में मूल वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और नॉन-प्रेक्टीसिंग भत्ता शामिल है ।

(एफ) "मंजूरी प्राधिकारी" से तात्पर्य इन विनियमों की संलग्न अनुसूची में निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

(जी) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "अग्रिम" से तात्पर्य इन विनियमों के तहत मंजूर किए गए सवारी अग्रिम से है ।

3. पात्रता

सभी कर्मचारी जो बोर्ड कर्मचारी अनुसूची में आते हैं वे सभी इन विनियमों के तहत सवारी अग्रिम की मंजूरी के लिए पात्र होंगे । ये पात्रता ऐसे अग्रिमों की मंजूरी के लिए निर्धारित की गई शर्तों के तहत होगी :

परन्तु जो कर्मचारी निलम्बन पर हैं ऐसे कर्मचारी निलम्बन की अवधि के दौरान इन विनियमों के तहत सवारी अग्रिम की मंजूरी के लिए हकदार नहीं होंगे ।

4 मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी

(1) मोटर कार अग्रिम

(i) ट्रस्ट के सभी अधिकारी जिनका मूल वेतन रु. 3871 और उससे अधिक है मोटर कार की खरीद के लिए मोटर कार अग्रिम की मंजूरी के लिए पात्र होंगे।

(ii) प्रथम बार मोटर कार खरीदते समय अग्रिम की राशि रु. 80,000 या वेतन का 35 गुना या खरीदी जाने वाली मोटर कार का दाम जो भी कम हो ।

(iii) दूसरे और/या आगे के समय मोटर कार की खरीद हेतु अग्रिम की राशि रु. 75,000 या वेतन का 35 गुना या खरीदी जाने वाली मोटर कार का दाम जो भी कम हो।

(iv) सभी मामलों में मोटर कार की खरीद के लिए मंजूर किए गए अग्रिम को 200 मासिक बराबर किस्तों में वसूल किया जाएगा जो अग्रिम लेने के बाद दिए जाने वाले वेतन से काटा जाएगा ।

(2) मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड के लिए अग्रिम

(i) ट्रस्ट के सभी वर्ग 1 व 2 के अधिकारी और वर्ग 3 और 4 के कर्मचारी जिनका स्टैगिनेशन के बाद वेतन रु. 400 प्र.मा. से कम न हो या समय-समय पर बोर्ड जिस राशि को निर्धारित करता है उसके अनुसार हो, वे मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी हेतु पात्र हैं।

(ii) प्रथम बार मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अग्रिम की राशि रु. 13000 या 10 महीनों का वेतन या खरीदी जाने वाली मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड का अनुमानित मूल्य जो भी कम होगी ;

(iii) दूसरी बार या आगे के अवसर पर मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अग्रिम की राशि रु. 10,000 या 8 महीने का वेतन या मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अनुमानित मूल्य जो भी कम हो होगी ।

(iv) विनियम 4(2) (ii) और (iii) के तहत मंजूर किए गए अग्रिम को, अग्रिम के देने के बाद दिए जाने वाले प्रथम वेतन से 70 मासिक बराबर किस्तों में काटा जाएगा।

(v) पुरानी मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड को खरीदने के मामले में रु. 3,500 या वाहन का वास्तविक मूल्य जो भी कम हो दिया जाएगा और ऐसे मंजूर किए गए अग्रिम को 60 मासिक बराबर किस्तों में अग्रिम लेने के बाद के माह से काटा जाएगा ।

(3) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए शर्तें

(i) इन विनियमों के विनियम 4 के तहत सवारी अग्रिम की मंजूरी बजटरी प्रावधानों पर होगी और संबंधित विभागाध्यक्ष प्रमाणित करेगा कि संबंधित कर्मचारी द्वारा वाहन रखने पर कार्यालय ड्यूटी के निष्पादन में दक्षता को और बढ़ावा मिलेगा ।

(ii) वाहन के वास्तविक मूल्य में बिक्री कर, फालतू पहिये टायर और ट्यूब का मूल्य और स्कूटर की पिलियन सीट और वाहन के पंजीकरण हेतु अपेक्षित आवश्यक मदें आदि शामिल हैं। इसमें अन्य उपस्कर जैसे कार में रेडियो/प्लास्टिक सीट कवर, बीमा और पंजीकरण प्रभार शामिल नहीं हैं ।

(iii) अगर वाहन का वास्तविक मूल्य अग्रिम की राशि से कम हो तो कर्मचारी को उस शेष राशि को एक मुश्त में तुरन्त वापस कर देना चाहिए ।

(iv) जिन कर्मचारियों को अग्रिम की मंजूरी मिल गयी हो उन्हें अग्रिम प्राप्त करने के पूर्व एक बाण्ड (बंध पत्र) भरना होगा । इसके अलावा उन्हें वाहन को बोर्ड के नाम पर बंधक रखना होगा । अस्थाई कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा से कम सेवा की हो तो उन्हें इस उपरोक्त के अलावा अगर कार खरीदनी हो तो दो स्थाई कर्मचारियों से जिन्हें

ट्रस्ट की सेवा में 17 वर्ष की अवधि की और सेवा करनी हो और मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड खरीदनी हो तो ट्रस्ट में सात वर्ष की सेवा रखने वाले स्थाई कर्मचारियों से जमानत देनी होगी।

(v) सामान्यतः दूसरी बार अग्रिम की मंजूरी के लिए कर्मचारी के निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर भी पात्र मामलों में प्रथम अग्रिम की प्राप्ति की दिनांक से दस वर्ष बाद ही फिर अग्रिम लेने के लिए हकदार होंगे।

(vi) उसी प्रकार या वर्ग के वाहनों की खरीद के लिए दूसरा/बाद का अग्रिम ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि पहले और दूसरे अग्रिम की अवधि दस साल से कम न हो। और प्रथम अग्रिम से खरीदे गए वाहन को बेच दिया गया है तथा पिछले अग्रिम के बकाये को सम्पूर्णतः अदा कर दिया गया है।

(vii) अगर अधिकारी विभिन्न प्रकार के वाहन अर्थात् मोटर कार और मोटर साईकिल दोनों अपने पास रखना चाहता हो जिसमें एक वाहन ट्रस्ट के अग्रिम से खरीदा गया हो और दूसरे प्रकार के वाहन की खरीद के लिए अग्रिम चाहता हो तो पिछले वाहन की बिक्री किए बिना अग्रिम की मंजूरी दी जा सकती है बशर्ते कि नया अग्रिम लेने के पहले पिछले अग्रिम की बकाया राशि को ब्याज सहित वापस लौटा दिया हो। ऐसे मामलों में दिए गए अग्रिम को दूसरे अग्रिम के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामलों में विनियम 4(3) (V) में दूसरे अग्रिम हेतु निर्धारित "दस वर्ष की अवधि" वाला प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(viii) अगर कर्मचारी ने पहले ही वाहन खरीद लिया हो और उसके मूल्य की अस्थाई ऋण लेकर चुका दिया हो और जब तक वाहन की खरीद की तारीख से तीन माह के भीतर अग्रिम की मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा तब तक उसे वाहन की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(ix) खरीद और अन्य कार्रवाई की समाप्ति के बाद एक महीने के अंदर कर्मचारी सभी प्रपत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए और अग्रिम लेने की दिनांक से दो महीने के भीतर या अध्यक्ष द्वारा दी गई मोहलत के भीतर वाहन को अध्यक्ष मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर बन्धक रखना होगा। अगर ऐसा न किया गया तो भुगतान किए गए अग्रिम की सम्पूर्ण राशि को ब्याज सहित एक मुश्त में ट्रस्ट को वापस कर देना चाहिए।

(x) जो कर्मचारी इन विनियमों के तहत वाहन खरीदते हैं, वे अग्रिम को पूर्णतः वापस लौटाने तक बकाया अग्रिम की राशि के लिए वाहन का बीमा कर देना चाहिए।

(xi) बिक्री या बदलना

जब तक मोटर कार /मोटर साईकिल /मोपेड की खरीद हेतु लिए गए अग्रिम की राशि सम्पूर्णतः ब्याज सहित चुका नहीं दी जाती तब तक कर्मचारी वाहन को नहीं बेचेगा या किसी और के नाम नहीं बदलेगा।

(xii) बन्धक पत्र की अभिरक्षा और निपटान

बन्धक पत्र को लेखा अधिकारी की देख रेख के लिए रखा जाएगा। ब्याज सहित अग्रिम की सम्पूर्ण राशि की वापसी के बाद लेखा अधिकारी बंधक पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन करते हुए उसे कर्मचारी को वापस लौटा देगा।

(5) साईकिल की खरीद हेतु अग्रिम की मंजूरी

(1) सभी वर्ग–3 और 4 के कर्मचारी पिछले अग्रिम की दिनांक के आठ वर्ष में एक बार साईकिल की खरीद हेतु अग्रिम की मंजूरी के लिए पात्र है।

(2) नई साईकिल के लिए रु. 1000/– और पुरानी साईकिल के लिए रु. 600/– अग्रिम दिया जाएगा जिसे अग्रिम के प्राप्त करने के बाद के माह से 25 मासिक बराबर किस्तों में काटा जाएगा।

(3) विनियम 5 (2) के तहत स्वीकृत अग्रिम संबंधित कर्मचारी को अपनी मर्जी से साईकिल खरीदने के लिए नकद भुगतान किया जाएगा।

(4) अगर अस्थाई कर्मचारी साईकिल अग्रिम के लिए आवेदन देता है तो वह ट्रस्ट में दो साल की सेवा रखने वाले दो स्थाई कर्मचारियों से जमानत दिलवाएगा।

(5) ट्रस्ट के अग्रिम से खरीदी गई साईकिल की जब भी निरीक्षण के लिए चाहे तो कर्मचारी को उसे प्रस्तुत करना चाहिए।

(6) साईकिल अग्रिम की मंजूरी के लिए ब्याज, इन विनियमों के विनियम 6 में निर्धारित ब्याज के अनुसार होगी।

6. ब्याज

इन विनियमों के तहत मोटर कार / मोटर साईकिल / मोपेड / साईकिल की खरीद के लिए अग्रिम की मंजूरी पर अग्रिम के वास्तविक भुगतान की दिनांक से साधारण ब्याज लगेगा हर माह के अन्तिम दिनांक में पोदभूत बकाया राशि पर ही ब्याज की गणना की जाएगी। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए मंजूर किए गए अग्रिम पर जो ब्याज लगाता है वही ब्याज दर ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत अग्रिम पर भी लगाया जाएगा। अग्रिम की मंजूरी के समय जो ब्याज दर लगाया जाता है वही सम्पूर्ण अग्रिम की भुगतान की तिथि तक जारी रहेगा।

7. सामान्य शर्तें

(1) अग्रिम के आहरण के बाद किसी कारणवश कर्मचारी अग्रिम के आहरण के दिनांक से एक माह के भीतर इसे प्राप्त नहीं कर लेता तो वह अग्रिम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट लेखे में पुनः जमा कर दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के बाद ऐसी राशि को अध्यक्ष की मंजूरी के साथ पुनः आहरण किया जाएगा।

(2) जो कर्मचारी अग्रिम की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र में गलत सूचना देते हुए पाये जाएंगे उन पर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1988 और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1987 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।

(3) विभागाध्यक्ष कर्मचारियों के आवेदन पत्रों/बंधक पत्रों/गिरवी पत्र आदि को अग्रिम की समाप्ति या समायोजन होने तक अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

(4) सेवा निवृत्त या मृतक कर्मचारियों के मामलों में इन विनियमों के तहत स्वीकृत अग्रिम की बकाया राशि को कर्मचारी को देय भविष्य निधि परिसम्पत्ति या सेवा निवृत्त लाभों से काटा जाएगा।

8. फार्म और प्रक्रिया

इन विनियमों के तहत अपेक्षित फार्म जैसे जमानती बंधक, गिरवी बंधक और अन्य फार्मों और प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

9. व्याख्या

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में किसी प्रश्न के उठने पर उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा और जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

10. छूट देने के लिए अधिकार

विशेष मामलों में इन विनियमों के किसी प्रावधान में छूट देने का अधिकार बोर्ड को ही है।

11. सरकारी नियमों का लागू करना

इन विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम के प्रावधान और उस पर सरकारी आदेशों को अपनाया जाएगा जिसके लिए बोर्ड ऐसे संशोधनों या अपवादों पर निर्णय लेगा और सरकारी अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(12) निरसन और बचाव

मौजूदा मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों को अग्रिम की मंजूरी के लिए योजना के प्रावधान जो इन विनियमों के लागू होने के पहले थे को निरस्त किया जाता है।

परन्तु उपरोक्त निरस्त योजना के प्रावधानों के तहत कोई भी आदेश दिये हो या कार्रवाई की गई हो तो इन विनियमों के सदृश प्रावधानों के तहत बताई गई या ली गई मानी जाएगी।

11. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम

म. पो. ट्र. कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम के तहत विभिन्न प्रकार के अग्रिम की मंजूरी के प्रयोजन हेत मंजूरी प्राधिकारी

[कृपया विनियम 2(1) देखें]

क्रम सं.	विनियम	अग्रिम की प्रकृति	कर्मचारियों की श्रेणी	मंजूरी प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	4	मोटर कार अग्रिम	विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष से इतर अन्य सभी अधिकारी	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
2.	4	मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम	विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष को छोड़ कर सभी वर्ग–1 व 2 अधिकारियों के लिए वर्ग–3 और 4 के सभी कर्मचारियों के लिए	अध्यक्ष उपाध्यक्ष विभागाध्यक्ष जिसके तहत कर्मचारी कार्यरत हों।
3.	5	साईकिल अग्रिम	वर्ग–3 और 4 के सभी कर्मचारियों के लिए	विभागाध्यक्ष या प्रभाग अधिकारी अर्थात् विभागाध्यक्ष से एक स्तर कम हो और कर्मचारी उसके अधीन काम करता हो।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 1994

G.S.R. 57(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust Employees' (Grant of Conveyance Advance) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Madras and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No PR-12012/23/92-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

MADRAS PORT TRUST

MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES' (GRANT OF CONVEYANCE ADVANCE) REGULATIONS, 1994

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Madras Port Trust Board hereby makes the following Regulations in replacement of the existing scheme for the advance :

1. Short title : These Regulations shall be called the Madras Port Trust Employees' (Grant of Conveyance Advance) Regulations, 1994.

2. Definition : In these Regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963;

(b) 'Accounts Officer' means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board or such other Officer(s) from the Accounts Department, as may be nominated on his behalf;

(c) 'Board', 'Chairman', 'Deputy Chairman' and 'Heads of Departments' shall have the meanings respectively assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963;

(d) Classes I, II, III and IV posts shall have the meanings as defined in the 'Schedule of Employees' issued by the Board from time to time;

(e) 'Pay' for the purpose of these Regulations shall include basic pay, special pay, personal pay and non-practising allowance;

(f) 'Sanctioning Authority' for the purpose of these regulations shall be as prescribed in the Schedule attached to these regulations; and

(g) 'Advance' for the purposes of these regulations shall mean the conveyance advance granted under these Regulations.

3. Eligibility—All employees borne on the Schedule of Employees of the Board shall be eligible for the grant of conveyance advance under these Regulations subject to the terms and conditions stipulated for the grant of such advances.

Provided that employees under suspension are not entitled for the grant of conveyance advance under these regulations during the period of suspension.

4. Grant of advances for the purchase of Motor Car|Motor Cycle|Scooter|Moped :

(1) Motor Car Advance :

(i) All the Trust's Officers who are drawing a basic pay of Rs. 3871 and above are eligible for the grant of Motor Car Advance for the purchase of Motor Car.

(ii) The quantum of advance for the purchase of Motor Car on the second and|or subsequent occasions is of pay or the price of the Motor Car to be purchased whichever is the least.

(iii) The quantum of advance for the purchase of Motor Car on the second and|or subsequent occasions is Rs. 75,000 or 35 times of pay or the price of the Motor Car to be purchased whichever is the least.

(iv) The advance granted for the purchase of Motor Car in all cases shall be recoverable in 200 equal monthly instalments commencing with the first issue of pay after the advance is drawn.

(2) Motor Cycle|Scooter|Moped Advance:

(i) All Classes I and II Officers and Classes III and IV employees of the Trust whose take home pay is not less than Rs 400 p.m. or such amount as the Board may fix from time to time are eligible for the grant of advances for the purchase of Motor Cycle|Scooter|Moped.

(ii) The quantum of advance for the purchase of Motor Cycle|Scooter|Moped on the first occasion is Rs. 13,000 or 10 months pay or anticipated price of the Motor Cycle|Scooter|Moped to be purchased whichever is the least.

(iii) The quantum of advance for the purchase of Motor Cycle|Scooter|Moped on the second or subseqquent occasion is Rs. 10,000 or 8 months pay or anticipated price of the Motor Cycle|Scooter|Moped to be purchased whichever is the least.

(iv) The advance granted under Regulation 4 (2)(ii) and (iii) shall be recoverable in not more than 70 equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after the drawal of advance.

(v) In the case of purchase of second-hand motor cycle|scooter|moped, the quantum of advance admissible is Rs. 3,500 or the actual price of the vehicle whichever is the least and the amount so granted is recoverable in 60 equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after the drawal of advance.

(3) Conditions for the grant of advance for the purchase of Motor Car|Motor Cycle|Scoter|Moped:

(i) The grant of conveyance advances under Regulation 4 of these regulations is subject to the budgetary provisions and also subject to the Head of Department concerned certifying to the effect that the possession of conveyance by the employee concerned will add to the efficiency in the discharge of his|her official duties.

(ii) The actual price of the conveyance will include the sales tax, cost of spare wheel, tyre and tube and the pillion seat in the scooter and necessary items required for registration of the vehicle. It will not include accessories like radio in a car|plastic cover seat, insurance and registration charges.

(iii) If the actual price of the conveyance is less than the advance drawn, the employee shall forthwith refund the excess amount drawn in one lump sum.

(iv) The employees who are sanctioned the advance shall execute a bond before the advance is received by them. In addition, they should hypothecate the conveyance to the Board. Temporary employees,

who have put in less than five years of service, should in addition, produce a surety bond from two permanent employees of the Trust having a further period of seventeen years of service in the Trust, if the advance to be granted is for the purchase of a car and seven years of further service in the Trust, if the advance to be granted is for the purchase of motor cycle|scooter|moped

(v) The request from the employees for grant of second advance shall not be entertained in normal course. However in deserving cases, it shall be entertained only after a period of ten years from the date of drawal of the first advance.

(vi) Second|subsequent advance for the purchase of the same category or type of vehicle is not admissible unless the period between first and second advance is not less than ten years and the vehicle purchased earlier by availing the advance is sold and the balance of the previous advance if any is fully liquidated.

(vii) Where an officer desires to keep two vehicles of different types i.e. a motor car and a motor cycle and has purchased one type of vehicle with the advance drawn from the Trust and wants to have advance for purchasing a different type of vehicle, he|she may be sanctioned the same without being required to set the previous vehicle, provided the officer repays the outstanding amount of advance with interest before drawing fresh advance. An advance given in such a case will be treated as second advance and the restriction of ten years for availing the second advance as stipulated under Regulation 4 (3) (v) above shall not apply in such cases.

viii) An advance for the purchase of conveyance will not be granted to an employee who has already purchased a conveyance and paid for it, unless the employee applies for the grant of advance within three months from the date of purchase of the conveyance which has been paid for by raising a temporary loan.

(ix) After completing purchase and other transactions, the employee should produce all documents within one month and hypothecate the conveyance in favour of the Chairman, Madras Port Trust within two months from the date of drawal of advance or within such extended period as may be allowed by the Chairman, failing which the entire amount paid as advance should be refunded to the Trust together with interest in one lumpsum.

(x) Employees who purchase the conveyance under these regulations should keep the vehicle insured comprehensively for an amount not less than the outstanding advance till the advance is fully repaid.

(xi) Sale or transfer : An employee shall not sell or transfer a Motor Car Motor Cycle|Scooter|Moped so long as the amount of advance together with interest on such amount is completely repaid.

(xii) Custody and disposal of mortgage bond : The mortgage bond shall be kept in the safe custody of the Account Officer. On repayment of the advance in full, together with the interest due thereon, the Accounts Officer shall make an endorsement to that effect on the bond and return the same to the employee.

(5) Grant of advance for the purchase of Bicycle :

(1) All Classes III and IV employees are eligible for the grant of advance for the purchase of Bicycle once in eight years from the date of last drawal of advance.

(2) The quantum of advance for the purchase of a brand new bicycle is Rs. 1000 and for the purchase of a second hand bicycle is Rs. 600 which is recoverable in 25 equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after receipt of advance.

(3) The advance sanctioned under Regulation 5(2); above shall be paid in cash to the concerned employee for purchase of cycle at his own choice.

(4) In the case of temporary employees applying for the grant of cycle advance, the advance will be sanctioned only if the applicant furnishes surety from two permanent employees who have at least two years of future service in the Trust.

(5) The employees should produce the cycle purchased utilising the advance for inspection as and when required.

(6) The interest for the grant of cycle advance shall be as prescribed in Regulation 6 of these Regulations.

6. Interest :

The grant of advance for the purchase of Motor Car|Motor Cycle|Scooter|Moped|Bicycle under the Regulation carrys simple interest from the date on which the advance is actually paid—the amount of interest being calculated on the balance outstanding on the last date of each month. The rate of interes payable on the advance sanctioned will be the rate at which the Government of India sanction similar advances to their employees from time to time. The rate of interest at the time of sanction of advance will remain unchanged till the advance is fully repaid.

7. General conditions :

(1) The advances drawn but not received by the employee for any reason within one month from the date of drawal should be credited back to Madras Port Trust Accounts. The redrawal of such amount after the prescribed time limit shall be done with the sanction of the Chairman

(2) The employees who are found to have given false declaration in the application form for the grant of advances are liable to be penalised as per the provisions of the Madras Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1988 read with Madras Port Trust Employees' (Conduct) Regulations, 1987.

(3) The Heads of Departments shall preserve the application forms|surety forms|mortgage bonds etc. of the employees till the advances are liquidated or adjusted.

(4) In the case of retirement or death of an employee, the outstanding amount towards the grant of advances under these Regulations shall be recoverable from the Provident Fund Assets or retirement benefits due to the employee.

8. Forms and Procedures : The forms such as surety bond, hypotecation deed and other forms required under these regulatioss and the procedures thereon shall be as prescribed by the Chairman from time to time.

9 Interpretation : If any question arises as to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final.

10. Power to relax : The power to relax any of the provisions of these regulations in exceptional cases shall vest with the Board.

11. Government's Rules to apply : Notwithstanding anything contained in these Regulations, the provisions of the General Financial Rules as amended from time to time and Government Orders thereon shall be adopted with such modifications or exceptions as the Board may decide, with the prior approval of Central Government, pending formal amendment to these Regulations.

12. Repeal and Savings : The provisions of the existing 'Scheme for the grant of advance to the employee of the Madras Port Trust' which were in forme immediately before the commencement of he regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or any action taken under the provisions of the aforesaid scheme so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE

MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES (GRANT OF CONVEYANCE ADVANCE) REGULATIONS.

Sanctioning Authorities for the purpose of grant of various kinds of advances under the MPT Employees' (Grant of Conveyance Advance.) Regulations.

[Please see Regulation 2(f)]

Sl. No.	Regulation	Nature of Advance	Categories of employees	Sanctioning Authority
1	2	3	4	5
1.	4	Motor Car Advance	Heads of Departments All other Officers excluding the Heads of Departments.	Chairman Deputy Chairman
2.	4	Motor cycle/Scooter/ Moped Advance	Heads of Departments. All Classes I and II Officers other than Heads of Departments. All Classes III and IV employees.	Chairman Deputy Chairman Heads of Departments under whom the employees are working.
3.	5	Cycle Advance	All Classes III and IV employees.	Heads of Departments or the Divisional Officers one level below the Heads of Departments under whose control the employees are working.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994